

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


सू. नं. 73/17 तारीख रजू 22-6-17

उत्तवान - रामवक्त्रा बनाम अशोक मीन
मेहन्कीपुर

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा


वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट से दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा 100 के अन्तर्गत पेश किया। जमावकी वशापथ पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन सेतभव कर दिनांक 26/7/17 को पेश हो।

3602-4
22-6-17



उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (कटौली)

26.7.17

वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1, 2 की ओर से श्री रामभरोही गुहा Adv. से वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 3 का सम्मन अदम्य तामील प्राप्त हुआ है। वास्ते जबाब एवं तलबी प्रतिवादी नं. 3 दिनांक 17.8.17 को पेश हो।


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

28.9.17 जनरल पेशी से पेश हुई वकालाय उप. गतानुसार दि. 16.10.17 को पेश हो।




उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

वकालाय उपस्थित/पीठासन अधिकारों कर्षण
पुनरी है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 13-11-17 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोड

फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
4.9.19	वकूलाय उप। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 18.9.19 को पेश हो। 
18.9.19	वकूलाय उप। वकूलाय उप। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 27.9.19 को पेश हो। <u>27.9.19</u> वकील अभय पक्ष उपस्थित / वादी वकीलने प्रकरण को आगे नहीं चलाये व खारिज करने के लिए Not Press का आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी वकील द्वारा दावा Not Press में खारिज कराना चाहा है अतः यह दावा Not Press में खारिज किया जाता है पत्रावली फैलल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है। 

मुद्रमा भागें
लज्जा नहीं
चाहते हैं
27.9.19